2021/309

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः–पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी नरेन्द्र कुमार पुत्र दयाला राम जाति अरोडा निवासी 10जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र,वारिसनामा, मूल रसीद, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता दयाला राम पुत्र वसना राम जाति अरोडा निवासी गांव 10जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 21.06. 2006 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 25.09.2021 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 21.06.2006 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान संजय कुमार पुत्र वीरभान एवं नानक चंद पुत्र साईदित्ता ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री विनोद कुमार चुघ अधिवक्ता ने की है।अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय